कार्यालय – अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक –वा0क0अधि0/आ0सो0–दस–4(घ)/भुगतान/1887 /2026 दिनांक– 05 जून 2026

परिपत्र

समस्त सदस्य
वाणिज्य कर अधिकरण
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय– वाणिज्य कर अधिकरण मुख्यालय एवं 31 पीठ कार्यालयों हेतु समूह घ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष चतुर्थ श्रेणी के 95 मैनपावर सेवा आपूर्ति किये जाने हेतु पूर्व में गठित अनुबन्ध की वैधता समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 22.05.2026 तक प्राप्त की गयी आउटसोर्स मैनपावर सेवाओं पर कार्योत्तर अनुमोदन/लम्बित पारिश्रमिक देय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1/1353221/2026/11–4099/16/2024 दिनांक 04.06.2025 द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण मुख्यालय एवं 31 पीठ कार्यालयों हेतु समूह घ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष चतुर्थ श्रेणी के 95 मैनपावर सेवा आपूर्ति किये जाने हेतु पूर्व में गठित अनुबन्ध की वैधता दिनांक 30.11.2025 को समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 22.05.2026 तक प्राप्त की गयी आउटसोर्स मैनपावर सेवाओं पर कार्योत्तर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि उक्त अवधि में वास्तविक रूप से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लम्बित पारिश्रमिक देय का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त के संबंध में निर्देशानुसार समस्त विभागीय एवं न्यायिक सदस्य दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 22.05.2026 तक चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य के सापेक्ष पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने हेतु अपने पीठ कार्यालयों में दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 22.05.2026 तक वास्तविक रूप से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की माहवार उपस्थिति का विवरण अविलम्ब मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त के सन्दर्भ में शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त अवधि की उपस्थिति के संबंध में पीठासीन अधिकारियों द्वारा यह तथ्य अवश्य संज्ञान में लिया जाये कि जिन चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा उक्त अवधि में वास्तविक रूप से उपस्थित होकर सेवाएँ दी गयी है, उन्ही कर्मचारियों के लम्बित देय का भुगतान नियमानुसार किया जाना है, इसलिए मात्र उन्ही चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की उपस्थिति का विवरण दो दिवस में विभागीय ई–मेल आई.डी. अथवा अन्य त्वरित माध्यम से समयान्तर्गत मुख्यालय प्रेषित किया जाय।

ह0/ 05-06-2026
(रमेश चन्द– प्रथम)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकनः: संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रशासनिक अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– वरिष्ठ सहायक (लेखा) मुख्यालय।
3– वरिष्ठ सहायक आलेखक–प्रालेखक–2 मुख्यालय।
4– वरिष्ठ सहायक/वेब अधिकारी मुख्यालय।
5– गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(आर एस विद्यार्थी)
सदस्य पीठ–2 लखनऊ
प्र0 निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner